



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



31 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 293 राँची, मंगलवार,

21 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग |

आदेश

16 फरवरी, 2024

संख्या-12/सी०-06-11/2014 का० 1179--झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रघुनाथ ठाकुर, तत्कालीन आप्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग-सम्प्रति प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पूर्व पदस्थापन काल के दौरान कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय आदेश संख्या-13820, दिनांक-17.12.2012 के द्वारा बिहार एवं ओड़िसा अधीनस्थ सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1935 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

2. तत्पश्चात् श्री ठाकुर के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 350, दिनांक- 09.02.2013 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके विरुद्ध निम्न आरोप गठित किया गया :-

- (i) समय से कार्यालय नहीं आना,
- (ii) कार्यालय से अनुपस्थित रहना,
- (iii) पत्रांक-111, दि०-01.10.2012 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना,
- (iv) विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ अमर्यादित व्यवहार करना ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-1550, दिनांक- 18.02.2013 द्वारा श्री ठाकुर को निलंबन से मुक्त करते हुए उन्हें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया ।

4. तदोपरांत श्री ठाकुर के विरुद्ध गठित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंतव्य तथा उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश संख्या- 9275, दिनांक- 19.09.2013 के द्वारा श्री ठाकुर के विरुद्ध निम्न शास्ति अधिरोपित की गयी :-

- (i) निन्दन,
- (ii) निलम्बन अवधि हेतु निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु निलम्बन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जा सकेगी ।

5. उक्त अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध श्री रघुनाथ ठाकुर, तत्कालीन आप्त सचिव द्वारा मुख्य सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे आदेश ज्ञापांक-1547, दिनांक-18.02.2014 के द्वारा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

6. तत्पश्चात् श्री रघुनाथ ठाकुर तत्कालीन आप्त सचिव द्वारा विभागीय आदेश संख्या- 9275, दिनांक- 19.09.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक-1547, दिनांक-18.02.2014 को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P(S)-1597/2013- रघुनाथ ठाकुर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दिनांक-14.09.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

"16. In the aforesaid facts and circumstance, the impugned order as contained in memo no. 9275 dated 19.09.2013 passed by the respondent no. 3 as well as the appellate order as contained in memo no. 1547 dated 18.02.2014 passed by the respondent no. 1 are quashed.

17. Since about 10 years have elapsed from the date of passing of the impugned order of punishment, I do not find it appropriate to 7 remand the matter to the respondent no.3 to decide it afresh after such a long time also

keeping in view that the charges against the petitioner were not so grave as well as that the punishment imposed upon him was minor in nature.

18. The writ petition is, accordingly, allowed. The respondents are directed to release salary to the petitioner for the suspension period by adjusting the subsistence allowance paid to him."

8. अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री ठाकुर के विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता अथवा गंभीर आरोप प्रतिवेदित नहीं होने एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री रघुनाथ ठाकुर, तत्कालीन आप्त सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग-सम्प्रति प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या- 9275, दिनांक- 19.09.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक- 1547, दिनांक- 18.02.2014 को निरस्त करते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक-17.12.2012 से दिनांक- 17.02.2013 तक को कर्तव्य अवधि घोषित किया जाता है।

उक्त अवधि में श्री ठाकुर को भुगतान की गयी जीवन निर्वाह भत्ता के सामंजन के पश्चात शेष बकाये वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।
